

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(13)न्याय/2018

जयपुर दिनांक 27.05.2022

::अधिसूचना::


नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 (सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, कॉलम संख्या 2 में दर्शित न्यायक्षेत्रों के जिला एवं सत्र न्यायालयों के स्थान पर कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में जिला एवं सत्र न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	जिला न्यायालय व न्यायक्षेत्र का नाम	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, अजमेर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
2	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
3	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, बारा	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
4	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, बीकानेर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
5	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
6	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
7	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता

27.5.22

8	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
---	------------------------------------	--	--


राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच,
जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक,
अजमेर/बालोतरा/बांरा/बीकानेर/धुस/पाप्ती/राजसमन्द/उदयपुर
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर
ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन) 27.5.22
संयुक्त शासन सचिव